

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे.

✓ प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-कैण्ट में अनुराग चौक से सीमाद्वारा व अनुराग चौक से शहीद विवेक गुप्ता चौक तथा अन्य आन्तरिक मार्गों का सुधारीकरण कार्य (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

137  
CE(P) / AAOप्रमुख अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग

82 SSO-II (P)

मुख्य अभियन्ता (नियोजन),  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

देहरादून : दिनांक 13 जनवरी, 2021

AAO-II

14/1/2021  
महादय,  
उपरिक्षण

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसकी कुल लम्बाई 4.23 किमी. एवं लागत ₹ 182.31 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 177.17 लाख (₹ एक करोड़ सतहत्तर लाख सत्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन में रखें जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debit able आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु वित्तीय हस्त पुरितका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रैक्योरमेन्ट रॉल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समर्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।


(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹0.10 लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेण्ट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 765/XXVII(2)/2020 दिनांक 08 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।  
संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

  
(दिलीप जावलकर)  
सचिव।

संख्या— (1)/III(2)/21-21(एम.एल.ए.)2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून।
6. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
11. गाई फाईल।

आज्ञा से,

मुद्रा: 36 /2021/6/2/21 D. 15-1-21

प्रतिलिपि जिला अनु सचिव।  
(दिनेश कुमार पुनेठा)

प्रतिलिपि द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रोतु छाभिं लोनि वि, देहरादून।

2. आधी० छाभिं १३०० वृत्त लोनि वि, देहरादून।

3. आधी० छाभिं निर्व० लोनि वि, देहरादून।

4. आधी० छाभिं आहु श्रोतु छाल काला संस्कृत विद्यालय।

5. आधी० छाभिं श्रोतु छाल काला संस्कृत विद्यालय।

विषयक अधिकारी कार्यालय प्रमुख अधिकारी एवं निवारक देहरादून



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021 )  
**Secretary-Secretary, PWD(S038)**  
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -53/III(2)/21-21(MLA)17

अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21010220010

आवंटन पत्र दिनांक-13-JAN-2021

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत  
परिव्यय

04-District and other Roads

337-सड़क निर्माण कार्य  
02-नया निर्माण कार्य (5054-04-  
800-03-02से स्थानान्तरित )

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी			वर्तमान में जारी			अब तक का व्यय			योग		
53-वृहद निर्माण	2500000			10000			0			2510000		
योग	2500000			10000			0			2510000		

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER